प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 17.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 17 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 146 वाहनों से 2,67,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 17.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 146 वाहनों से 2,67,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कन्विक्शन”*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 17.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा का0 मुरली प्रसाद थाना दुधारा द्वारा अभियुक्त भोला उर्फ मुमताज पुत्र इसिमदार निवासी महराबारी थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर के कब्जे से 02 अदद गोवंशीय पशु बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री जी0पी0 यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 556/2008 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त भोला उर्फ मुमताज उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बलवा/दंगा व धमकी देने के मामले में 02 अभियुक्तो को 03 वर्ष का कारावास व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 17.04.2026 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो 03 वर्ष का कारावास व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा आरक्षी कमाल अहमद खां थाना धर्मसिंहवा द्वारा अभियुक्त मो0 ताविश खां व इस्तखार खां पुत्रगण शाकिर अली खां निवासीगण खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ बलवा/दंगा, सरकारी संपत्ति को नुकशान पहुंचाने व धमकी देने के मामले में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक अपर पुलिस अधीक्षक श्रीओम प्रकाश सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 48/2016 धारा 147,323,332,427,504,506 भादवि थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तगण मो0 ताविश खां व इस्तखार खां उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 147 भादवि में 02 वर्ष के साधारण कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादवि में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 332/149 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण, धारा 427 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण, धारा 504 भादवि में 02 वर्ष के साधारण कारावास व 500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण, धारा 506 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भोगेंगे।